[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

<u>अधिसूचना</u>

<u>आयकर</u>

नई दिल्ली, तारीख 28 नवंबर, 2014

का. आ. **3015 (**अ**)**. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 245थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम 1962 का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (**12वां** संशोधन) नियम 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम 1962(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)में, नियम 44ड़ में, -

(क) उपांतिक शीर्षक में, शब्दों "अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का फार्म" के स्थान पर "अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र"शब्द रखे जाएंगे;

(ख|) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन चार प्रतियों में --
(क) धारा 245 ढ के खंड (क) के उपखंड **(i)** में निर्दिष्ट अनिवासी आवेदक के संबंध में प्रारुप सं. 34ग में,

(ख) धारा 245 ढ के खंड (क) के उपखंड **(i)** में निर्दिष्ट अनिवासी आवेदक द्वारा किसी अनिवासी के साथ किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा करने वाले निवासी आवेदक की बाबत प्ररुप सं. 34घ में ; और

(ग) उस धारा के खंड (ख) के उपखंड **(i i क)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित व्यक्ति के वर्ग या प्रवर्ग में आने वाले धारा 245ढ के खंड (क) के उपखंड **(i i क)**में निर्दिष्ट किसी निवासी आवेदक के संबंध में प्रारुप सं. 34घक में,

(घ) धारा 245ढ के खंड **(ख)** के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित व्यक्ति के वर्ग या प्रवर्ग में आने वाले किसी निवासी के संबंध में प्रारुप सं. 34ड़ में, और

(ड़)अधिनियम की धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड **(iiiक)** में निर्दिष्ट आवेदक के संबंध में प्रारुप सं. 34ड़क में,

किया जाएगा और इसे उसमें दर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा ।"

(ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

3. प्रत्येक आवेदन पत्र यथा लागू प्रारुप में उपनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के सबूत के साथ संलग्न होगा ।

4. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदनपत्र के साथ संदेय फीस निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी :

सारणी

आवेदक का प्रवर्ग	मामले का प्रवर्ग	फीस
1	2	3
धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (i) या (ii) या (iii क) में निर्दिष्ट आवेदक	किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित एक या अधिक ऐसे संव्यवहारों की रकम जिसकी बाबत विनिर्णय मांगा गया है । 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ।	2 लाख रुपये
	किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित एक या अधिक ऐसे संव्यवहारों की रकम जिसकी बाबत विनिर्णय मांगा गया है । 100 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 300 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ।	5 लाख रुपये
	किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित एक या अधिक ऐसे	10 लाख रुपये

	संव्यवहारों की रकम जिसकी बाबत विनिर्णय मांगा गया है 300 करोड़ रुपये से अधिक है ।	
कोई अन्य आवेदक	सभी मामलों में	10000 रुपये

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट - ।। में, प्रारुप 34घ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप 34घक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररुप सं. 34घक

(नियम 44ड. देखिए)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन अग्रिम निर्णय चाहने वाले, धारा 245थ(ख) **(i i क)** में निर्दिष्ट आवेदक द्वारा किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहार के संबंध में आवेदन का प्रारुप

(कृपया इस प्ररुप को भरने से पहले टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़े)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष

.....का आवेदन संख्यांक.....

1. आवेदक का पूरा नाम और पता, टेलीफोन और फैक्स नं. सहित
2. प्रास्थिति
3. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी
4. स्थायी खाता संख्यांक
5. उस व्यक्ति का नाम पता, टेलीफोन और फैक्स नं. जिसके साथ संव्यवहार किया गया या किया जाना प्रस्तावित है ।

6. किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे किसी संव्यवहार से, जिसके संबंध में अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है संबंधित विधि या तथ्यों का (के)प्रश्न

7. पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण

8. पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण

9. क्या न्यायलय का कोई निर्णय है जिसमें ऐसा प्रश्न उठाया गया है जिसमें विनिर्णय अपेक्षित हो ? यदि हां, ऐसा सुसंगत निर्णय सूचीबद्ध करे ।

10. संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की सूची

11. आवेदन के साथ संलग्न पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट की विशिष्टियां

.....

हस्ताक्षरित

(आवेदक)

सत्यापन

मैं.....(पूर्ण नाम स्पष्ट अक्षरों में).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ लगे दस्तावेज भी हैं, जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है । मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....(पदनाम).....के रुप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह (वे) प्रश्न, जिस पर (जिन पर) अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, मेरे मामले में किसी आय-कर अपील प्राधिकारी, किसी अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है/हैं ।

आज तारीख .....को सत्यापित किया गया ।

.....

हस्ताक्षरित

(आवेदक)

स्थान.....

टिप्पण - 1. यह आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में चार प्रतियों में भरा जाएगा ।

2. आवेदन का संख्यांक और प्राप्ति का वर्ष अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के कार्यालय में भरा जाएगा ।

3. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान को अपर्याप्त पाया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नकों का प्रयोग किया जा सकता है । इन्हें आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

4. आवेदन के साथ नई दिल्ली में संदेय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के पक्ष में आय-कर नियम, 1962 के नियम के नियम 44ड. के उपनियम (4) के अनुसार यथा लागू फीस का पाने वाले के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट दिया जाए । मद 11 के उत्तर में ड्राफ्ट की विशिष्टयां दी जानी चाहिए ।

5. मद सं. 2 के उत्तर में, आवेदक यह बताए कि क्या वह/यह कोई व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि-संगम या कंपनी है ।

6. मद सं. 6 के संबंध में, वास्तविक या प्रस्थापित संव्यवहारों पर आधारित होना चाहिए (होने चाहिए) । परिकल्पित प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

7. मद सं. 7 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों को ब्यौरेवार बनाए और अपने कारबार या वृत्ति की प्रकृति और प्रस्थापित संव्यवहार (संव्यवहारों) की संभावित तारीख और प्रयोजन को भी प्रकट करे । आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित सुसंगत तथ्यों को, तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया गया हो, न कि मात्र निर्देश द्वारा समाविष्ट किया गया हो ।

8. मद सं. 8 के लिए उपाबंध 2 में आवेदक उस प्रश्न (प्रश्नों) की बाबत, जिसके (जिनके) संबंध में अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्ट रुप से उल्लेख करें ।

9. आवेदन उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले विवरणों और दस्तावेजों को आय - कर नियम, 1962 के नियम 44ड. के उपनियम (2) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाए ।

उपाबंध 1

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) से, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, संबद्ध सुसंगत तथ्यों का कथन

.....

हस्ताक्षरित

(आवेदक)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध 2

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, आवेदक के, यथास्थित, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण

.....

हस्ताक्षरित

(आवेदक)

स्थान.....

तारीख.....

(अधिसूचना 74/2014/ फा.सं.142/6/2014-टीपीएल)

(गौरव कनौजिया)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (11वां संशोधन) नियम, 2014 अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2874 **(अ)** तारीख 10/11/2014 द्वारा किया गया ।